अदालत ______________________ नं. ______________________

नाम मुकदमा ______________________

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अदालत की
6.11.25	वकील पक्षकारान उपस्थित। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि मेरा रास्ता आने जाने के लिये उपलब्ध नहीं है मैं रास्ते के बदले प्रतिफल के रूप में DLC का मुआवजा देने के लिये तैयार हूँ अतः अप्रार्थीगण से निवेदन है कि मुझे मेरे खेत में आने जाने के लिये रास्ता उपलब्ध करवाया जावे। वकील अप्रार्थी ने दौराने अपनी बहस में बताया कि अप्रार्थीगण तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार आवेदकगण द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा वैकल्पिक रास्ता मौके पर चालू है जो आवेदकगण के खेत तक जाता है तथा अन्तर्गत धारा 251A के तहत यह स्पष्ट है कि मौके पर यदि कोई वैकल्पिक रास्ता चालू है तो उसे अन्य अधिकारयुक्त रास्ता देय नहीं है अतः प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे पाया गया कि मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट आवेदकगण द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा मौके पर वैकल्पिक रास्ता	

उपलब्ध है जो मौके पर चालू है। जिस कारण आवेदकगण को सुविधानुसार मार्ग रास्ता दिये जाने का प्रावधान नहीं है अतः प्रार्थना पत्र खारीज किया जाना न्यायोचित प्रतीत है अतः प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है पत्रावली केशव शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सुरजगढ़